सामाजिक विज्ञान

सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन-1

कक्षा 6 के लिए पाठ्यपुस्तक

© NCERT
not to be republished

0659

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING

प्रथम संस्करण

मार्च 2006 *फाल्गुन 1927*

पुनर्मुद्रण

दिसंबर 2006 *पौष 1928*
दिसंबर 2007 *पौष 1929*
मार्च 2009 *फाल्गुन 1930*
जनवरी 2010 *माघ 1931*
जनवरी 2011 *पौष 1932*
जून 2012 *ज्येष्ठ 1934*
अक्तूबर 2013 *अश्विन 1935*
दिसंबर 2014 *पौष 1936*
जनवरी 2017 *माघ 1938*
जनवरी 2018 *माघ 1939*
फरवरी 2019 *माघ 1940*
जनवरी 2020 *पौष 1941*

PD 80T RPS

© राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, 2006

₹ 65.00

एन.सी.ई.आर.टी. वाटरमार्क 80 जी.एस.एम. पेपर पर मुद्रित।

प्रकाशन प्रभाग में सचिव, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, श्री अरविंद मार्ग, नयी दिल्ली 110016 द्वारा प्रकाशित तथा प्रतिभा प्रैस एवं मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड, 6, अशोक नगर, लाटूश रोड, लखनऊ-226018 द्वारा मुद्रित।

ISBN 81-7450-519-9

सर्वाधिकार सुरक्षित

- प्रकाशक की पूर्व अनुमति के बिना इस प्रकाशन के किसी भाग को छापना तथा इलेक्ट्रॉनिकी, मशीनी, फोटोप्रतिलिपि, रिकॉर्डिंग अथवा किसी अन्य विधि से पुनः प्रयोग पद्धति द्वारा उसका संग्रहण अथवा प्रसारण वर्जित है।
- इस पुस्तक की बिक्री इस शर्त के साथ की गई है कि प्रकाशक की पूर्व अनुमति के बिना यह पुस्तक अपने मूल आवरण अथवा जिल्द के अलावा किसी अन्य प्रकार से व्यापार द्वारा उधारी पर, पुनर्विक्रय या किराए पर न दी जाएगी, न बेची जाएगी।
- इस प्रकाशन का सही मूल्य इस पृष्ठ पर मुद्रित है। रबड़ की मुहर अथवा चिपकाई गई पर्ची (स्टिकर) या किसी अन्य विधि द्वारा अंकित कोई भी संशोधित मूल्य गलत है तथा मान्य नहीं होगा।

एन सी ई आर टी के प्रकाशन प्रभाग के कार्यालय

एन.सी.ई.आर.टी. कैंपस
श्री अरविंद मार्ग
नयी दिल्ली 110 016 **फोन** : 011-26562708

108, 100 फीट रोड
हेली एक्सटेंशन, होस्डेकेरे
बनाशंकरी III इस्टेज
बेंगलुरु 560 085 **फोन** : 080-26725740

नवजीवन ट्रस्ट भवन
डाकघर नवजीवन
अहमदाबाद 380 014 **फोन** : 079-27541446

सी.डब्ल्यू.सी. कैंपस
निकट: धनकल बस स्टॉप पनिहटी
कोलकाता 700 114 **फोन** : 033-25530454

सी.डब्ल्यू.सी. कॉम्प्लैक्स
मालीगांव
गुवाहाटी 781021 **फोन** : 0361-2674869

प्रकाशन सहयोग

अध्यक्ष, प्रकाशन प्रभाग	:	*अनूप कुमार राजपूत*
मुख्य संपादक	:	*श्वेता उप्पल*
मुख्य उत्पादन अधिकारी	:	*अरुण चितकारा*
मुख्य व्यापार प्रबंधक	:	*बिबाष कुमार दास*
उत्पादन सहायक	:	*ओमप्रकाश*

आवरण एवं चित्रांकन
विशाखा प्रकाश

सज्जा
सोहन लाल
मृत्युंजय चटर्जी

© NCERT not to be republished

आमुख

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (2005) सुझाती है कि बच्चों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। यह सिद्धांत किताबी ज्ञान की उस विरासत के विपरीत है जिसके प्रभाववश हमारी व्यवस्था आज तक स्कूल और घर के बीच अंतराल बनाए हुए है। नई राष्ट्रीय पाठ्यचर्या पर आधारित पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकें इस बुनियादी विचार पर अमल करने का प्रयास है। इस प्रयास में हर विषय को एक मज़बूत दीवार से घेर देने और जानकारी को रटा देने की प्रवृत्ति का विरोध शामिल है। आशा है कि ये कदम हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) में वर्णित बाल-केंद्रित व्यवस्था की दिशा में काफी दूर तक ले जाएँगे।

इस प्रयत्न की सफलता अब इस बात पर निर्भर है कि स्कूलों के प्राचार्य और अध्यापक बच्चों को कल्पनाशील गतिविधियों और सवालों की मदद से सीखने और सीखने के दौरान अपने अनुभवों पर विचार करने का कितना अवसर देते हैं। हमें यह मानना होगा कि यदि जगह, समय और आज़ादी दी जाए तो बच्चे बड़ों द्वारा सौंपी गई सूचना-सामग्री से जुड़कर और जूझकर नए ज्ञान का सृजन करते हैं। शिक्षा के विविध साधनों एवं स्रोतों की अनदेखी किए जाने का प्रमुख कारण पाठ्यपुस्तक को परीक्षा का एकमात्र आधार बनाने की प्रवृत्ति है। सर्जना और पहल को विकसित करने के लिए ज़रूरी है कि हम बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में पूरा भागीदार मानें और बनाएँ, उन्हें ज्ञान की निर्धारित खुराक का ग्राहक मानना छोड़ दें।

ये उद्देश्य स्कूल की दैनिक ज़िंदगी और कार्यशैली में काफ़ी फेरबदल की माँग करते हैं। दैनिक समय-सारणी में लचीलापन उतना ही ज़रूरी है जितना वार्षिक कैलेण्डर के अमल में चुस्ती, जिससे शिक्षण के लिए नियत दिनों की संख्या हकीकत बन सके। शिक्षण और मूल्यांकन की विधियाँ भी इस बात को तय करेंगी कि यह पाठ्यपुस्तक स्कूल में बच्चों के जीवन को मानसिक दबाव तथा बोरियत की जगह खुशी का अनुभव बनाने में कितनी प्रभावी सिद्ध होती है। बोझ की समस्या से निपटने के लिए पाठ्यक्रम निर्माताओं ने विभिन्न चरणों में ज्ञान का पुनर्निर्धारण करते समय बच्चों के मनोविज्ञान एवं अध्यापन के लिए उपलब्ध समय का ध्यान रखने की पहले से अधिक सचेत कोशिश की है। इस कोशिश को और गहराने के यत्न में यह पाठ्यपुस्तक सोच-विचार और विस्मय, छोटे समूहों में विचार-विमर्श और ऐसी गतिविधियों को प्राथमिकता देती है जिन्हें करने के लिए व्यावहारिक अनुभवों की आवश्यकता होती है।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एन.सी.ई.आर.टी.) इस पुस्तक की रचना के लिए बनाई गई पाठ्यपुस्तक निर्माण समिति के परिश्रम के लिए कृतज्ञता व्यक्त करती है। परिषद्, सामाजिक विज्ञान पाठ्यपुस्तक सलाहकार समूह के अध्यक्ष प्रोफ़ेसर हरी वासुदेवन और पाठ्यपुस्तक समिति की मुख्य सलाहकार, शारदा बालगोपालन की विशेष आभारी है। इस पाठ्यपुस्तक के विकास में कई शिक्षकों ने योगदान किया, इस योगदान को संभव बनाने के लिए हम उनके प्राचार्यों के आभारी हैं। हम उन सभी संस्थाओं और संगठनों के प्रति कृतज्ञ हैं

© NCERT not to be republished

जिन्होंने अपने संसाधनों, सामग्री तथा सहयोगियों की मदद लेने में हमें उदारतापूर्वक सहयोग दिया। हम माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रोफ़ेसर मृणाल मीरी एवं प्रोफ़ेसर जी.पी. देशपांडे की अध्यक्षता में गठित निगरानी समिति (मॉनिटरिंग कमेटी) के सदस्यों को अपना मूल्यवान समय और सहयोग देने के लिए धन्यवाद देते हैं। व्यवस्थागत सुधारों और अपने प्रकाशनों में निरंतर निखार लाने के प्रति समर्पित एन.सी.ई.आर.टी. टिप्पणियों एवं सुझावों का स्वागत करेगी जिनसे भावी संशोधनों में मदद ली जा सके।

निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और
प्रशिक्षण परिषद्

नयी दिल्ली
20 दिसंबर 2005

© NCERT not to be republished

पाठ्यपुस्तक निर्माण समिति

अध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान पाठ्यपुस्तक सलाहकार समिति

हरि वासुदेवन, *प्रोफ़ेसर,* इतिहास विभाग, कलकत्ता विश्वविद्यालय, कोलकाता

मुख्य सलाहकार

शारदा बालगोपालन, सेंटर फ़ॉर द स्टडी ऑफ़ डेवलपिंग सोसाइटीज़, राजपुर रोड, दिल्ली

सदस्य

अंजलि नरोना, एकलव्य – शैक्षिक शोध एवं नवाचार संस्थान, मध्य प्रदेश

अरविंद सरदाना, एकलव्य – शैक्षिक शोध एवं नवाचार संस्थान, मध्य प्रदेश

दिप्ता भोग, निरंतर – जेंडर एवं शिक्षा संदर्भ समूह, सर्वोदय इन्क्लेव, नयी दिल्ली

जया सिंह, *प्रवक्ता,* डी.ई.एस.एस.एच., एन.सी.ई.आर.टी.

कृष्णा मेनन, *रीडर,* लेडी श्रीराम कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

लतिका गुप्ता, *सलाहकार,* डी.ई.ई., एन.सी.ई.आर.टी.

मोहन देशपांडे, *समन्वयक,* आभा (आरोग्य मान), पुणे

एम.वी. श्रीनिवासन, *प्रवक्ता,* डी.ई.एस.एस.एच., एन.सी.ई.आर.टी.

संजय दुबे, *रीडर,* डी.ई.एस.एस.एच., एन.सी.ई.आर.टी.

शोभा वाजपेई, शासकीय माध्यमिक विद्यालय, उड़ा, ज़िला हरदा, मध्य प्रदेश

स्वाति वर्मा, हेरिटेज़ स्कूल, रोहिणी, दिल्ली

सदस्य एवं समन्वयक

डब्ल्यू. थेमीचोन रेमसन, *प्रवक्ता,* एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली

© NCERT not to be republished

भारत का संविधान

उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक [1][**संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य**] बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को :

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक **न्याय,**

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म

और उपासना की **स्वतंत्रता,**

प्रतिष्ठा और अवसर की **समता**

प्राप्त कराने के लिए,

तथा उन **सब में**

व्यक्ति की गरिमा और [2][**राष्ट्र की एकता**

और अखंडता] सुनिश्चित करने वाली **बंधुता**

बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर **अपनी इस संविधान सभा में** आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. को **एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।**

---

1. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3.1.1977 से) ''प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3.1.1977 से) ''राष्ट्र की एकता'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।

© NCERT not to be republished

आभार

यह पाठ्यपुस्तक केवल लेखक समूह के प्रयासों का नतीजा नहीं है। किताब तैयार करने के क्रम में हमारे सहकर्मियों एवं मित्रों ने अलग-अलग तरीके से अपना समय और सहयोग दिया है। हमारी आंतरिक समीक्षा समिति के सदस्य के रूप में मेरी जॉन, एस.मोहिन्दर, आदित्य निगम तथा सी. एन. सुब्रह्मण्यम ने समय-समय पर अपने महत्त्वपूर्ण सुझावों द्वारा हमारा मार्गदर्शन किया। साथ ही, सौली बेंजामिन, राजीव भार्गव, सारा जोसफ, अनु गुप्ता, प्रभु महापात्र, फराह नकवी, अवधेन्द्र शरण, सुजीत सिन्हा, भूपेन्द्र यादव तथा योगेन्द्र यादव ने अलग-अलग पाठों पर अपनी टिप्पणी दी। एलेक्स एम. जॉर्ज ने अपनी राय देने से लेकर स्रोत सामग्री ढूँढ़ने में सक्रिय भूमिका निभाई। केशव दास ने एक पाठ पर विशेष रूप से योगदान किया। सुमंगला दास ने हमें इप्टा का गीत उपलब्ध कराया जिसका प्रयोग हमने अपने पहले पाठ में किया है। बेन ने हमें नागालैंड के चिजामी गाँव में चावल की खेती के बारे में जानकारी दी। इसके अलावा हम विशेष रूप से उर्वशी बुटालिया के प्रति आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने कम समय होने के बावजूद अंग्रेज़ी संस्करण का संपादन करना स्वीकार किया। उनके द्वारा किए गए संपादन के कारण किताब की गुणवत्ता बढ़ी है।

इस किताब का संपादन करने और विषयवस्तु में सुझाव देने के लिए हम विशेष रूप से पूर्वा भारद्वाज को धन्यवाद देना चाहते हैं। उनके कार्य में अरविंद सरदाना, शोभा वाजपेई, टुलटुल विश्वास, प्रकाश कान्त तथा सुप्रिया पाठक ने भी भरपूर सहायता की। लतिका गुप्ता ने सभी पाठों का शुरुआती अनुवाद किया और बाद में उन पर पुनः धैर्यपूर्वक काम किया।

आर.के. लक्ष्मण (दि टाइम्स ऑफ इंडिया), शीला धीर, पोइली सेनगुप्ता और अंजलि मांटेरियो ने अपनी रचनाओं का उपयोग करने की अनुमति दी। पेंइगुइन, तूलिका और महाराष्ट्र सरकार ने भी हमें अपने प्रकाशन का सहर्ष उपयोग करने दिया।

चित्रांकन के कार्य में बड़ों के साथ-साथ बच्चों ने भी अपना सहयोग दिया है। शासकीय माध्यमिक विद्यालय, उड़ा, ज़िला हरदा के बच्चों ने गाँवों में होने वाले अलग-अलग तरह के कामों के चित्र बनाए हैं। उन चित्रों के कोलाज का ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका को समझाने में इस्तेमाल किया गया है। अदिति, ऐश्वर्या, अनीशा, स्वराली, मीनाक्षी और सहर के चित्रों का उपयोग इस किताब में किया गया है। उनमें जो विविधता है उसके जरिए विविधता की अवधारणा को समझाने में मदद मिली है।

चित्रांकन मुख्य रूप से विशाखा प्रकाश के हैं। उन्होंने जिस बारीकी, लगनशीलता और पाठों की आवश्यकता के अनुरूप चित्रांकन का कार्य किया, उससे किताब को नया आयाम मिला है। इसके लिए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। पहले पाठ में समीर की कहानी पर आधारित चित्र शाश्वती चौधरी ने बनाया है। हम उनके आभारी हैं।

किताब में प्रयुक्त अन्य सभी फोटो हमें *डाउन टू अर्थ* एवं *हिन्दुस्तान टाइम्स* ने उदारतापूर्वक प्रदान किए। हम विशेष रूप से *आउटलुक* समूह के प्रति आभारी हैं जो हमारी ज़रूरतों के प्रति

© NCERT not to be republished

काफी संवेदनशील थे। यैन ब्रेमेन और पार्थिव शाह की फोटो का भी किताब में इस्तेमाल किया गया है। मृत्युंजय चटर्जी ने शुरुआत में हमें पाठों की सज्जा एवं आवरण सज्जा के संबंध में महत्त्वपूर्ण सुझाव दिए तथा सोहन पाल ने अपनी समस्त क्षमता, कौशल एवं समर्पण के साथ इस किताब को अंतिम स्वरूप दिया जिसके कारण लेखक समूह का अथक परिश्रम इस रूप में सामने आ सका। अरविंद सरदाना एवं दिप्ता भोग के व्यापक अनुभव से इस किताब को अंतिम रूप देने में काफी सहायता मिली।

सेंटर फ़ॉर द स्टडीज़ ऑफ डेवलपिंग सोसायटीज़ (सी.एस.डी.एस.); एकलव्य - शैक्षिक शोध एवं नवाचार संस्थान, मध्य प्रदेश; निरंतर - जेंडर एवं शिक्षा सन्दर्भ समूह तथा अंकुर - सोसायटी फॉर ऑल्टरनेटिव्ज़ इन एजुकेशन ने इस किताब को तैयार करने में संस्थागत रूप से महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने हमारी माँग एवं आवश्यकता के अनुरूप यथासंभव हमारी मदद की। श्री अधिकारी, विकास, सचिन एवं घनश्याम (सी.एस.डी.एस.), दिनेश पटेल (एकलव्य) तथा शालिनी जोशी, मालिनी घोष, वी. टी. प्रसन्ना एवं अनिल हासदा (निरंतर) ने हमारी सबसे अधिक सहायता की।

इन सभी व्यक्तियों के साथ-साथ कई अभिभावक, शिक्षक और विद्यार्थी जिन्हें पाठ्यपुस्तक के संबंध में समझ थी, इस प्रक्रिया में शामिल हुए। इस कारण हम नए विचारों से बच्चों का परिचय कराने में सक्षम हो पाए हैं। हम राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नयी दिल्ली के भी ऋणी हैं जिसके कारण यह कार्य संभव हो सका। इस किताब पर सुझाव एवं आलोचनात्मक प्रतिक्रियाएँ सादर आमंत्रित हैं।

इस किताब को तैयार करने में सहयोग देने के लिए हम सविता सिन्हा, *प्रोफ़ेसर* एवं *अध्यक्ष,* डी.ई.एस.एस.एच., एन.सी.ई.आर.टी. को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहते हैं।

हम पुस्तक के विकास के विभिन्न चरणों में सहयोग के लिए अरविंद शर्मा, *डी.टी.पी. ऑपरेटर;* तथा सुनयना तिवारी, *सीनियर प्रूफ रीडर* के विशेष आभारी हैं।

प्रकाशन विभाग द्वारा हमें पूर्ण सहयोग एवं सुविधाएँ प्राप्त हुईं, इसके लिए हम आभारी हैं।

वर्तमान संस्करण की समीक्षा और अपडेट करने में एम.वी.एस.वी. प्रसाद, *असिस्टेंट प्रोफेसर,* पाठ्यचर्या अध्ययन विभाग, एन.सी.ई.आर.टी. का योगदान सराहनीय है।

किताब कैसे इस्तेमाल करें

'सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन' क्यों?

जिन सदस्यों ने राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 की रूपरेखा को तैयार किया उनका विचार था कि नागरिक शास्त्र विषय एक खास औपनिवेशिक अतीत से पनपा हुआ विषय है और इसलिए इसे बदलने की ज़रूरत है। पाठ्यचर्या की समिति के सदस्यों ने यह भी पहचाना कि नागरिक शास्त्र अभी तक केवल सरकारी संस्थाओं और कार्यक्रमों के विवरण देने पर ही केंद्रित था। यह विषय इस तरह से लिखा जाना चाहिए था जिसमें आलोचनात्मक दृष्टिकोण समाहित हो। इस समझ के तहत एक नया विषय उभरा—'सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन'। इस नये विषय ने सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को शामिल कर अपने दायरे का विस्तार किया है।

'सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन' किस तरह से अलग है?

इस किताब में एक अलग तरह की सोच अपनाई गई है जिसे हमने स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इसमें तीन तत्त्वों का सम्मिश्रण है।

1. बच्चे ठोस अनुभवों के माध्यम से अच्छी तरह से सीखते हैं। इस विचार को केंद्र में रखते हुए यह प्रयास किया गया कि संस्थाओं या प्रक्रियाओं पर चर्चा काल्पनिक वृतांतों अथवा केस स्टडी या उन अभ्यासों के आधार पर की जाए जो बच्चों के अपने अनुभवों से जुड़े हों।

2. अवधारणाओं का बच्चों से इस रूप में परिचय करवाना ताकि उनकी समझ बने न कि वे तथ्यों एवं सूचनाओं तक सीमित रह जाएँ। इसके लिए जो तरीके अपनाए गए हैं, वे हैं सूचनाओं की कटौती। पाठ और अभ्यास में बच्चों को ऐसे प्रश्न दिए गए हैं जो उन्हें सोचने के लिए प्रेरित करें और परिभाषाएँ कम से कम रखी गई हैं।

3. बच्चे सामाजिक और पारिवारिक संरचनाओं से गहरे रूप से जुड़े हुए होते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने यह प्रयास किया है कि विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हुए आदर्श एवं यथार्थ में संतुलन बना रहे।

बच्चे बाहर के तमाम अनुभवों को लेकर कक्षा में आते हैं। इस किताब में विषयों पर जिस तरह से चर्चा की गई है वह बच्चों की समझ को उभारती है और उन्हें अपनी समझ की पड़ताल करने व उसे टटोलने के अवसर देती है। किताब में यथार्थ को दर्शाया गया है। इसके साथ ही यह वर्णन किया गया है कि हम आदर्श स्थिति की तरफ कैसे बढ़ सकते हैं। उन आदर्शों पर बल दिया गया है जो संविधान में निहित मूल्यों पर आधारित हैं। इन मूल्यों की प्राप्ति के लिए लोगों ने जो संघर्ष किए हैं उनको भी आधार बनाया गया है।

यह किताब चार इकाइयों में बँटी हुई है जो विभिन्न अवधारणाओं पर प्रकाश डालते हैं। ये हैं — विविधता, सरकार, स्थानीय सरकार और प्रशासन एवं आजीविका। प्रत्येक इकाई में एक से अधिक पाठ हैं जो इन अवधारणाओं पर विस्तार से चर्चा करते हैं।

(I) हर पाठ की शुरुआत

प्रत्येक पाठ दो तत्त्वों से शुरू होता है जिनके ज़रिए बच्चों में उस पाठ के प्रति रुचि और उसके बारे में ज़्यादा जानने की उत्सुकता पैदा होती है। पहला तत्त्व है परिचयात्मक भाग जो पूरे पाठ की एक संक्षिप्त झलक प्रस्तुत करता है कि पाठ किन मुख्य बिन्दुओं पर चर्चा करेगा। बच्चों की जिज्ञासा बढ़ाने वाले प्रश्न दिए गए हैं और ऐसे प्रश्न भी हैं जो बच्चों को उनके अनुभवों और मुद्दों को जोड़ने के मौके दें। दूसरा तत्त्व है प्रत्येक पाठ के शुरू में आनेवाला एक बड़ा चित्र जिसकी मदद से बच्चा यह अंदाज़ा लगा पाएगा कि पाठ किस बारे में है। यह उम्मीद है कि कक्षा में पढ़ाते समय शिक्षक किताब में दिए गए प्रश्नों एवं चित्रों के अलावा अपने प्रश्न एवं चित्रों का भी इस्तेमाल करेंगे।

अध्याय 2

विविधता एवं भेदभाव

पिछले पाठ में आपने विविधता के बारे में पढ़ा। कई बार जो लोग दूसरों से अलग होते हैं उन्हें चिढ़ाया जाता है, उनका मज़ाक उड़ाया जाता है या फिर उन्हें कई गतिविधियों या समूहों में शामिल नहीं किया जाता। अगर हमारे दोस्त या दूसरे लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार करें तो हमें दु:ख होता है, गुस्सा आता है और हम असहाय महसूस करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है?

इस पाठ में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे अनुभव हमारे समाज से और हमारे आस-पास मौजूद असमानताओं से कैसे जुड़े हुए हैं।

(II) पाठ के बीच के प्रश्न और अभ्यास

हेक्टर और उसके साथी किस बात के खिलाफ़ संघर्ष कर रहे थे? अश्वेत लोग किस-किस तरह से भेदभाव का सामना कर रहे थे, इसकी सूची बनाइए।
1.
2.
3.

आप यह देखेंगे कि हर पाठ में कुछ रंगीन खाने दिए गए हैं जिनमें चर्चा के लिए कुछ मुद्दे हैं, कुछ प्रश्न दिए गए हैं एवं कुछ अभ्यास भी दिए गए हैं। इन सबके कई उपयोग हैं – पहला कि शिक्षक यह अंदाज़ा लगा पाए कि विद्यार्थी को पाठ में चर्चित मुद्दा कितना समझ में आया।

© NCERT not to be republished

3. किसी सब्ज़ी बेचने वाली या ठेले वाले से बात करिए और पता लगाइए कि वे अपना काम कैसे करते हैं – तैयारी, खरीदना, बेचना इत्यादि।
4. बच्चू को एक दिन की छुट्टी लेने से पहले भी सोचना पड़ता है। क्यों?

दूसरा, विद्यार्थियों के अनुभवों के संदर्भ में उनकी अवधारणाओं की समझ को बढ़ाना।

तीसरा, विद्यार्थी पहले पढ़ी हुई चीज़ों को याद करें और अभी के पाठ में उसका प्रयोग करें।

नीचे की तालिका में दिए गए कथनों पर नज़र दौड़ाइए। क्या आप पहचान सकती हैं कि वे सरकार के किस स्तर से संबंधित हैं? उनके आगे निशान लगाइए।

	स्थानीय	राज्य	राष्ट्रीय
पश्चिम बंगाल की सरकार का सारे सरकारी स्कूलों में कक्षा 8 में बोर्ड की परीक्षा लेने का निर्णय	○	○	○
जम्मू एवं भुवनेश्वर के बीच में नई रेल सेवाएँ शुरू करने का निर्णय	○	○	○
भारतीय सरकार का रूस के साथ मैत्री संबंध बनाने का निर्णय	○	○	○

समीर दो स्कूल क्यों नहीं जाता था? आपकी राय में अगर वह स्कूल जाना चाहता तो क्या जा पाता? क्या यह सही है कि कुछ बच्चे स्कूल जा पाते हैं और कुछ जा ही नहीं पाते? इस पर चर्चा करें।

खुले खानों में चर्चा के लिए दिए गए मुद्दों का आशय है कि बच्चे छोटे समूहों में चर्चा करें और बाद में पूरी कक्षा में उसे सुनाएँ। चर्चा के लिए दिए गए मुद्दे मुख्य रूप से बच्चों के अनुभवों पर केंद्रित हैं ताकि बच्चों की अवधारणाओं की समझ का विस्तार हो सके। इसलिए समय का अभाव होने पर भी इनको नज़रअंदाज़ न करें।

(III) अभ्यास

पाठोत्तर प्रश्नों को बनाते समय यह ध्यान दिया गया है कि विद्यार्थी अपनी समझ को बढ़ा पाएँ न कि पाठ की विषयवस्तु को अंधाधुंध रट लें। विद्यार्थी को अपने शब्दों में उत्तर लिखने के लिए प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है। विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है :

अभ्यास

1. पुलिस का क्या काम होता है?
2. पटवारी के कोई दो काम बताइए।

- कुछ प्रश्न इस बात की आवश्यकता पर बल देते हैं कि विद्यार्थी पाठ के प्रमुख बिन्दुओं को विशिष्ट रूप से दोहरा सकें।

- कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो विद्यार्थियों को अनुभव आधारित उत्तर देने पर बल देते हैं।

5. नीचे दी गई तालिका में दुकानों या दफ़्तरों के नाम भरें कि वे किस प्रकार की चीज़ें या सेवाएँ मुहैया कराते हैं?

दुकानों या दफ़्तरों के नाम	चीज़ों/सेवाओं के प्रकार

© NCERT not to be republished

6. नीचे दी गई तालिका भरते हुए शेखर और रामलिंगम की स्थितियों की तुलना कीजिए:

	शेखर	रामलिंगम
खेती की हुई ज़मीन		
मज़दूरों की ज़रूरत		
फ़सल का बिकना		

- कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो दी गई जानकारी के आधार पर विद्यार्थियों से तुलना करने के लिए कहते हैं।

- कुछ प्रश्न विद्यार्थियों से उन परिस्थितियों की कल्पना करने के लिए कहते हैं, जिनके बारे में उन्होंने पढ़ा है। ये प्रश्न विद्यार्थियों से उन विशेष परिस्थितियों से उठने वाले मुद्दों पर प्रतिक्रिया की माँग करते हैं।

5. नीचे दी गई खबर को पढ़िए और फिर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए:

...इस घटना का पता तब चला जब कुछ लोग बुरी तरह से घायल लाड को इलाज के लिए अस्पताल लेकर आए। पुलिस की रपट में लाड ने लिखवाया कि उस पर हमला तब हुआ जब उसने टैंकर का पानी टंकी में भरने पर ज़ोर दिया था। टंकी निमोन ग्राम पंचायत की जल आपूर्ति योजना की तहत बनाई गई थी ताकि पानी का समान रूप से वितरण हो। परन्तु लाड का आरोप था कि ऊँची जाति के लोग इस बात के खिलाफ़ थे। वे टैंकर के पानी पर दलित जातियों का अधिकार नहीं मानते थे।

– *इंडियन एक्सप्रेस* की एक खबर, 1 मई 2004

(क) भगवान लाड को पीटा क्यों गया था?

(ख) क्या आपको लगता है कि यह एक भेदभाव का मामला है? क्यों?

5. चर्चा कीजिए:
ऊपर के दो चित्रों में आपने कूड़ा चुनने एवं उसको ठिकाने लगाने की विभिन्न विधियों को देखा।
i) आपके विचार से कौन-सी विधि कूड़े का निपटारण करने वाले व्यक्ति के लिए सुरक्षित है?

- एक अन्य प्रकार के प्रश्न हैं जिनमें चित्रों/तस्वीरों का उपयोग किया गया है। उनके आधार पर विद्यार्थी ये वर्णन करें कि तस्वीर में क्या दिख रहा है और वह दिए गए पाठ के साथ कैसे संबंधित है।

विभिन्न प्रकार के ये प्रश्न शिक्षकों को यह समझने में मदद करेंगे कि विद्यार्थियों ने अवधारणा को न केवल समझ लिया है बल्कि, उस समझ में अवधारणा से सार्थक जुड़ाव की एक क्षमता भी शामिल है। यह उम्मीद है कि विद्यार्थियों का मूल्यांकन करने के लिए शिक्षक ऊपर दिए गए प्रश्नों की तर्ज़ पर हर तरह के प्रश्न खुद भी बनाएँगे। कुछ गिने-चुने प्रश्नों के उत्तरों को रटने की प्रवृत्ति को पूरी तरह से त्यागने की कोशिश करनी चाहिए। अपनी राय व्यक्त करना या मुद्दों पर बहस करना अवधारणा समझने या उससे जुड़ने का एक हिस्सा है।

© NCERT not to be republished

(IV) कथानकों का उपयोग

मैंने इसे एक मज़ाक की तरह लिया। मज़ाक जो कि फटे-पुराने कपड़े पहने उस छोटे-से लड़के के लिए था जो उस भीड़-भाड़ वाले चौराहे की लालबत्ती पर अखबार बेचता था। मैं जब भी वहाँ से साइकिल से गुज़रता वह अंग्रेज़ी का अखबार हाथ में लहराते हुए...

यह किताब कई काल्पनिक एवं अकाल्पनिक कथानकों का इस्तेमाल करती है ताकि विद्यार्थी संस्थाओं एवं विचारों को समझने में सक्षम बनें। इन कथानकों का इस्तेमाल विद्यार्थियों में चर्चा एवं अंत:दर्शन को बढ़ावा देने के लिए किया जाना चाहिए। प्रयास यही है कि विद्यार्थी अपने आपको कहानी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ पाएँ।

कुछ पाठों में हमने विद्यार्थियों को अपने अनुभवों पर कथानक लिखने को कहा है। कथानक लिखते समय विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा सर्जनात्मक होने के लिए प्रेरित करने की ज़रूरत है। शिक्षकों से यह भी उम्मीद है कि वे दूसरे विषयों में पढ़ाई जा रही अवधारणाओं से संबंध बिठाएँगे।

बच्चू माँझी - एक रिक्शावाला

मैं बिहार के एक गाँव से आया हूँ जहाँ मैं मिस्त्री का काम करता था। मेरी बीबी और तीन बच्चे गाँव में ही रहते हैं। हमारे पास जमीन नहीं है। गाँव में मिस्त्रीगिरी का काम लगातार नहीं मिलता। जो कमाई होती थी वह परिवार के लिए पूरी नहीं पड़ती थी।

मान लीजिए कि आप एक चित्रकार या कहानीकार हैं जो इस जगह पर रहती हैं। ऐसी जगह के जीवन पर एक कहानी लिखिए या चित्र बनाइए।
क्या आप सोचती हैं कि आपको ऐसी जगह में रहने में मज़ा आएगा? उन पाँच चीज़ों की सूची बनाइए जिनकी कमी ऐसी जगह में सबसे ज़्यादा खलेगी।

(V) छवियों का उपयोग

इस किताब में कई चित्र एवं तस्वीरें हैं। ये भी पाठ्यसामग्री की तरह पाठ के अभिन्न अंग हैं और यह उम्मीद की जाती है कि पाठ्यसामग्री को समझते समय शिक्षक इन चित्रों का उपयोग करेंगे। इसके साथ ही तस्वीरों से बच्चों को ऐसी परिस्थितियों की कल्पना करने में मदद मिलती है जो उनके लिए अपरिचित हों। शिक्षकों के लिए सुझाव है कि वे पुस्तकालय, अख़बार, पत्रिकाओं एवं इंटरनेट से मिलने वाले चित्रों का भी इस्तेमाल करें।

© NCERT not to be republished

(VI) भाषा में जेंडर संवेदनशीलता

इस किताब में बच्चों को संबोधित करते हुए कई पाठों में केवल स्त्रीलिंग रूपों का प्रयोग किया गया है। जैसे यह वाक्य देखिए, ''क्या कोई ऐसी साथी हैं जो बिल्कुल आपकी तरह दिखती हो?'' इसे आमतौर पर लिखा जायेगा – 'क्या कोई ऐसा साथी है जो कि बिलकुल आपकी तरह दिखता हो।' यहाँ 'साथी' शब्द में लड़के और लड़कियाँ दोनों शामिल माने जाते हैं, परन्तु उसके पहले के शब्द 'ऐसा' और क्रियावाची शब्द 'दिखता' से ऐसा लगता है मानो केवल लड़कों की बात हो रही हो। सिर्फ हमारी भाषा में ही नहीं, हमारे जीवन में हर ओर इसी तरह हमें लड़कियों की कमी तथा लड़कियों के प्रति गैर-बराबरी दिखाई पड़ती है।

इस गैर-बराबरी की स्थिति पर सवाल करने और पढ़नेवालियों के रूप में लड़कियों को किताब में स्थान देने के उद्देश्य से हमने भाषा के मान्य रूपों को बदला है। हो सकता है शुरू-शुरू में आपको यह कुछ अटपटा लगे पर यह कोशिश लड़कों या पुरुषों को दरकिनार करने की नहीं, बल्कि उन तमाम लड़कियों को हमारी किताबों में जगह देने की है जो सालोंसाल हमारी भाषा और कार्यक्षेत्र से गायब रही हैं।

हाल बुरा नहीं है! ज़रूर पास के किसी गाँव में नल से पानी आ रहा होगा।

संपादक के लिए चिट्ठी

पोस्टरों पर रोक लगे

दीवारों पर लगे पोस्टर किसी भी शहर की सुंदरता को खराब करते हैं — कई बार पोस्टर महत्त्वपूर्ण स्थानों एवं साइनबोर्डों पर चिपका दिए जाते हैं। यहाँ तक कि सड़क के नक्शों पर भी इन्हें चिपका दिया जाता है। सभी राजनैतिक दलों को चाहिए कि वे इस तरह के पोस्टरों पर रोक लगाने के लिए सहमति बनाएँ।

महेश कपासी, दिल्ली

(VII) अन्य साधनों का उपयोग

पाठ्यपुस्तक महत्त्वपूर्ण होती है लेकिन वह कक्षा में उपयोग होने वाले कई साधनों में से सिर्फ एक ही साधन है। विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक के अलावा अन्य सामग्री पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। जैसे अखबार, कार्टून आदि।

© NCERT not to be republished

विषय–सूची

आमुख *iii*

किताब कैसे इस्तेमाल करें *ix*

इकाई I विविधता

अध्याय 1 विविधता की समझ 3

अध्याय 2 विविधता एवं भेदभाव 15

इकाई II सरकार

अध्याय 3 सरकार क्या है? 31

अध्याय 4 लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्त्व 39

इकाई III स्थानीय सरकार और प्रशासन

अध्याय 5 पंचायती राज 49

अध्याय 6 गाँव का प्रशासन 57

अध्याय 7 नगर प्रशासन 65

इकाई IV आजीविकाएँ

अध्याय 8 ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका 77

अध्याय 9 शहरी क्षेत्र में आजीविका 88

संदर्भ 100

© NCERT not to be republished

भारत का संविधान

भाग 4क

नागरिकों के मूल कर्तव्य

अनुच्छेद 51 क

मूल कर्तव्य – भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह –

(क) संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे;

(ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे;

(ग) भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे;

(घ) देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे;

(ङ) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हों;

(च) हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे;

(छ) प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रखे;

(ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे;

(झ) सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे;

(ञ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत् प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू सके; और

(ट) यदि माता-पिता या संरक्षक है, छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले अपने, यथास्थिति, बालक या प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करे।

© NCERT not to be republished